संख्या-160 /2023/941 /001-941-23-10 -2023-37-सा0-2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 13 पान्टून सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नलिखित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्र0स0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	189/प्रा0आगणन-गोरखपुर(कूडाभरत)/सेतु-6/22-23 दिनांक 02.02.2023
2	73/प्रा0आगणन-गोरखपुर(गेरूई रामकोला घाट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 13.01.2023
3	1334/प्रा0आगणन-कुशीनगर(माधोपुर)/सेतु-6/21-22 दिनांक 06.12.2021
4	1335/प्रा0आगणन-कुशीनगर(मकुनही घाट)/सेतु-6/21-22 दिनांक 06.12.2021
5	430/प्रा0आगणन-मीरजापुर(गौरा परमानपुर)/सेतु-6/22-23 दिनांक 14.03.2023
6	1105/प्रा0आगणन-मथुरा(सरकोरिया)/सेतु-6/21-22 दिनांक 01.10.2021
7	74/प्रा0आगणन-सीतापुर(हुसैनपुर घाट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 13.01.2023
8	311/प्रा0आगणन-हरदोई(गौरिया घाट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 22.02.2023
9	310/प्रा0आगणन-हरदोई(चियासर घाट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 22.02.2023
10	15/प्रा0आगणन-शाहजहॉपुर(कोलाघाट पान्टून सेतु)/सेतु-6/21-22 दिनांक 06.01.2022
11	477/प्रा0आगणन-शाहजहॉपुर(कोलाघाट अतिरिक्त पान्टून)/सेतु-6/22-23 दिनांक 16.03.2023
12	816/प्रा0आगणन-शाहजहॉपुर(खड़न्जा एवं चकर्ड प्लेट)/सेतु-6/22-23 दिनांक 25.08.2022
13	429/प्रा0आगणन-वाराणसी(फुलवरिया दनियालपुर)/सेतु-6/22-23 दिनांक 14.03.2023

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न जनपदों के 13 पान्टून सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 1173.69 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 के अन्तर्गत कॉलम-8 में अंकित कुल रू0 938.97 लाख (रूपये नौ करोड़ अडतीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	वर्ष 23-24 की अनुमोदित कार्ययोजना का क्रमांक	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
					अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग ¼6$7½	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड बांसगॉव अंतर्गत ग्राम पंचायत कूडाभरत के पास आमी नदी पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	01	43.20	27.23	7.33	34.56	लो0 नि0 वि0
2	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में कैम्पियरगंज में राप्ती नदी पर गेरूई रामकोला घाट पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	02	88.86	56.01	15.08	71.09	लो 0 नि 0 वि 0
3	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में ग्राम माधोपुर में छोटी गण्डक नदी पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	03	20. 66	13.02	3.51	16.53	लो0 नि0 वि0
4	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड नौरंगिया के मकुनही घाट के छोटी गण्डक नदी पर पान्टून पुल का निर्माण	04	21. 32	13.44	3.62	17.06	लो 0 नि 0 वि 0
5	मीरजापुर	जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड छानबे में गंगा नदी पर ग्राम पंचायत गौरा परमानपुर पुरवा एवं सेमराध नाथ के बीच गंगा नदी पर पान्टून पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	05	190.53	120.09	32.33	152.42	लो0 नि0 वि0
6	मथुरा	जनपद मथुरा के ग्राम भौगॉव से सरकोरिया के मध्य यमुना नदी पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	06	89. 70	56.54	15.22	71.76	लो0 नि0 वि0
7	सीतापुर	जनपद सीतापुर में सरायन नदी पर स्थित हुसैनपुर घाट पर पान्टून सेतु का निर्माण कार्य।	07	85 .09	53.63	14.44	68.07	लो0 नि0 वि0
8	हरदोई	जनपद हरदोई में गोरिया घाट रामगंगा नदी पर पाण्टून सेतु का निर्माण।	08	68.69	43.30	11.66	54.96	लो0 नि0 वि0
9	हरदोई	जनपद हरदोई में चियासर घाट गंगा नदी पर पाण्टून सेतु का निर्माण।	09	117.32	73.95	19.91	93.86	लो0 नि0 वि0

10	शाहजहाँ पुर	जनपद शाहजहाँ पुर में रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर स्थित कोलाघाट पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	11	170.25	107.31	28.89	136.20	लो0 नि 0 वि 0
11	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर स्थित कोलाघाट पर अतिरिक्त पाण्टून पुल का निर्माण कार्य।	12	126.05	79.45	21.39	100.84	लो0 नि 0 वि 0
12	शाहजहाँ पुर	जनपद शाहजहाँ पुर में रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर स्थित पुल की पहुंच मार्ग पर खडंजा एवं चेकर्ड प्लेट इत्यादि लगाने का कार्य।	13	70.11	44.19	11.90	56.09	लो0 नि 0 वि 0
13	वाराणसी	वाराणसी में विधान सभा शिवपुर में फुलवरिया दनियालपुर पिसौर के बीच वरूणा नदी पर पान्टून पुल निर्माण	14	81.91	51.63	13.90	65.53	लो0 नि 0 वि 0
योग:-				**1173.69**	**739.79**	**199.18**	**938.97**	

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,39,79,000 (रुपये सात करोड़ उनतालीस लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 1,99,18,000 (रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख अटठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-527-X-2023-24-दिनांक:06.09.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

क्रमशः

संख्या-160/2023/941/001-941-23-10-2023-37-सा0-2023 ,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।